

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 29.08.2018

संख्या-1/पी0-104/2014 का०- 6642 / भारत सरकार में सहायक सचिव के पद पर पदस्थापित श्री बशारत कयूम, भा.प्र.से. (झा:2016) को उक्त पदस्थापन से विरमित होने के उपरान्त अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला - खरसावाँ के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें सरायकेला - खरसावाँ अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/पी0-104/2014 का०- 6643 / भारत सरकार में सहायक सचिव के पद पर पदस्थापित श्री चंदन कुमार, भा.प्र.से. (झा:2016) को उक्त पदस्थापन से विरमित होने के उपरान्त अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, धालभूम (जमशेदपुर) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें धालभूम (जमशेदपुर) अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/पी0-104/2014 का०- 6644 / भारत सरकार में सहायक सचिव के पद पर पदस्थापित श्रीमती गरिमा सिंह, भा.प्र.से. (झा:2016) को उक्त पदस्थापन से विरमित होने के उपरान्त अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची सदर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें राँची सदर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/पी0-104/2014 का०- 6645 / भारत सरकार में सहायक सचिव के पद पर पदस्थापित श्री हिमांशु मोहन, भा.प्र.से. (झा:2016) को उक्त पदस्थापन से विरमित होने के उपरान्त अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें गोड्डा अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/पी0-104/2014 का०- 6646 / भारत सरकार में सहायक सचिव के पद पर पदस्थापित श्री जितेन्द्र डुडी, भा.प्र.से. (झा:2016) को उक्त पदस्थापन से विरमित होने के उपरान्त अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया (चतरा) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें सिमरिया (चतरा) अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/पी0-104/2014 का०- 6647 / भारत सरकार में सहायक सचिव के पद पर पदस्थापित श्री कर्ण सत्यार्थी, भा.प्र.से. (झा:2016) को उक्त पदस्थापन से विरमित होने के उपरान्त अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, राजमहल (साहेबगंज) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें राजमहल (साहेबगंज) अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/पी0-104/2014 का०- 6648 / भारत सरकार में सहायक सचिव के पद पर पदस्थापित श्रीमती मेघा भारद्वाज, भा.प्र.से. (झा:2016) को उक्त पदस्थापन से विरमित होने के उपरान्त अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग सदर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें हजारीबाग सदर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

संख्या-1/पी0-104/2014 का०- 6649 / भारत सरकार में सहायक सचिव के पद पर पदस्थापित श्री विशाल सागर, भा.प्र.से. (झा:2016) को उक्त पदस्थापन से विरमित होने के उपरान्त अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें देवघर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
22/01 29/8/18
(अरुण कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 1/पी0-104/2014 का० - 6649 /राँची, दिनांक 29.08.2018

प्रतिलिपि-नोडल पदाधिकारी, ई- गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची/महालेखाकार, झारखंड, राँची/सम्बन्धित कोषागार/ सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/प्रधान स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड/मुख्य सचिव का कोषांग, झारखंड, राँची/राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/महानिदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/झारखंड राज्य के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ महाधिवक्ता, झारखंड, राँची/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची/ भूसम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, झारखंड, राँची/राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/01 29/8/18
सरकार के अवर सचिव।